

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**  
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Revision Petition No. 848/2026

1. Jodharam S/o Shri Jeewanram, Aged About 42 Years, R/o Dhai Jogiwali Village - Bharni Police Station Reengus District Sikar (Presently In Central Jail, Bikaner)
2. Narpat Singh S/o Shri Bhanwar Singh, Aged About 50 Years, Resident Nangal Bagri, Police Station Govindgarh, District Jaipur, (Raj.) (Presently In Central Jail, Bikaner)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

---

|                   |   |                                             |
|-------------------|---|---------------------------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Arnav Singh, Adv.<br>Mr. Mahendra, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Devi Singh, PP                          |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**

**Judgment / Order**

**08/05/2026**

**1. In S.B. Cri. Revision Petition No. 848/2026**

एकल पीठ दांडिक निगरानी याचिका के ग्रहणार्थ प्रक्रम पर सुना गया।  
इस निगरानी याचिका में उठाये गये कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह निगरानी याचिका विचारार्थ ग्रहण की जाती है।  
अभिलेख तलब किया जावे।  
प्रकरण सम्यक अनुक्रम में सूचीबद्ध किया जावे।

**2. In Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 224/2026**

प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी—अभियुक्तगण को विचारण न्यायालय अतिरिक्त **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**, दांतारामगढ, जिला सीकर ने नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या **266/2003** में पारित निर्णय 13.08.2018 के तहत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में अधिकतम **दो-दो** वर्ष के साधारण कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया था, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय **अपर सेशन न्यायाधीश** दांतारामगढ, जिला सीकर द्वारा फौजदारी अपील संख्या **24/2020** में पारित निर्णय **01.05.2026** के माध्यम से याचीगण को धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के संबंध में विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश को यथावत रखा।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी—अभियुक्तगण का कथन रहा कि अभियुक्तगण वर्तमान में दिनांक 01.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। निगरानी याचिका के विचारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन आवेदन को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने सजा स्थगन आवेदन का विरोध किया।

समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी—याचीगण द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी—अभियुक्तगण **जोधाराम पुत्र जीवणराम व नरपत सिंह पुत्र भंवर सिंह** की ओर से विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्ट अपराध में अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी—अभियुक्तगण इस न्यायालय में दिनांक **10.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु, प्रत्येक द्वारा **एक-एक लाख रूपए** का बन्ध-पत्र एवं **पचास-पचास हजार रूपए** की दो प्रतिभूतियां विद्वान विचारण न्यायालय के

संतोषप्रद प्रस्तुत करे तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय क्रमशः दिनांकित **13.08.2018 तथा 01.05.2026** के तहत कारावास की सीमा तक दिए गए **“दण्डादेश”** का क्रियान्वयन इस पुनरीक्षण याचिका के निर्णीत होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J